(9)

प्रकरण संख्या–16 / 2016

तारीख रजु–28.03.2016

न्यायालय जिला कलक्टर, करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

मुवीन खातून पुत्री अज्जू खां पत्नि रशीद जाति मुसलमान निवासी सलेमपुर हाल राजीव कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर (राज.) – प्रार्थिया

बनाम

1. बबुआ पुत्र अज्जू खां
2. कयूम पुत्र अज्जू खां
3. जायदा पत्नि कलीम खां
4. कलीम खां पुत्र हबीबुल्ला खां
5. गुलाम मौहम्मद पुत्र हवीबुल्ला खां

} जातियान मुसलमान निवासीयान सलेमपुर तहसील सपोटरा जिला करौली

6. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील सपोटरा – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अंतरित किये जाने मुकदमा दावा 77 / 08 एवं दरख्वास्त 45 / 08 उनवानी मुवीन खातून बनाम बबुआ अंतर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 21.08.2018

प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र प्रार्थिया द्वारा पेश कर निवेदन किया है कि वाद पत्र संख्या 77 / 08 एवम मुतफर्रिक दर0 अस्थाई निषेधाज्ञा सं. 45 / 08 उनवानी मुवीन खातून बनाम बबुआ वगै0 प्रतिवादीगण बबुआ, कयूम, कदीर, अब्दुल अजीज पुत्रान अज्जू खां अख्तर वेवा नबाब, मौहम्मद यूसुफ, मौहम्मद तुफैल, मौहम्मद हाशमी पुत्रान नबाब खां एवं तहसीलदार लैण्ड होल्डर के खिलाफ धारा 88 एवं 53 आर.टी. एक्ट के तहत दिनांक 24.09.2008 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर सपोटरा में प्रस्तुत किये थे। इन मुकदमों में दिनांक 23.02.2011 को जबाब दावा व जबाब टी.आई. पेश हो चुके थे। दौराने दावा एवं दरख्वास्त में प्रतिवादीगण बबुआ, कयूम, कदीर, वगै0 प्रतिवादी नं. 1 ता 8 द्वारा विवादित आराजी का बेचान जायदा पत्नि कलीम खां एवं गुलाम मौहम्मद खां पुत्रान हवीवुल्लाह खां के हक में हस्तांतरण किया जाकर जामबंदी व खाते में नाम दर्ज हो चुके हैं। दौराने दावा विवादित आराजी का हस्तांतरण हो जाने के कारण प्रतिवादीगण के हकूक समाप्त हो चुके थे। प्रतिवादीगण 1 ता 8 के हकूक समाप्त हो जाने के कारण वादीया की ओर से अंतर्गत ऑर्डर–1 रूल–10 सी.पी.सी. के तहत खरीददार गैरसायलान को दावा एवम दर0 में पक्षकार वनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था। माहतम अदालत ने कानून की परवाह किये वगैर प्रार्थीयॉ का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर–1 रूल–10 सी.पी.सी. दिनांक 15.05.2013 को विना किसी युक्तियुक्त कारण सरसरी तौर पर खारीज कर दिया। उप जिला कलेक्टर

जिला कलक्टर
करौली

प्रकरण संख्या–16 / 2016 तारीख रजु–28.03.2016

सपोटरा के आदेश के खिलाफ प्रार्धीया को मजबूरन माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं. 4797 / 13 व 4798 / 13 उक्त आदेश के खिलाफ पेश करनी पडी। दिनांक 15.07.2015 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्रार्थीया की निगरानीयां अनवानी मूवीन बनाम बबुआ वगैरहा स्वीकार की जाकर प्रकरण सं. 47 / 08 एवं 77 / 08 में प्राप्ति आदेश दिनांक 15.05.2013 निरस्त किया जाकर पक्षकारान को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के न्यायालय में दिनांक 24.08.2015 को पक्षकारान को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाने का आदेश दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त प्रकरण में उक्त निगरानीयों में उक्त पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 को दोनो पत्रावलियो में प्रार्थी की ओर से उपस्थिति का प्रार्थना पत्र 24.08.2015 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर सपोटरा में न्यायालय के रीडर हंसराज मीना को प्रस्तुत किया था। दिनांक 24.08.2015 को पीठासीन अधिकारी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानीयों में पारित आदेश की प्रतिलिप प्रस्तुत कर अग्रिम तारीख हेतु निवेदन किया था लेकिन प्रार्थीया को उक्त मुकदमें में कोई तारीख नही दी गई। उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त माननीया पीठासीन अधिकारी उपजिला कलेक्टर सपोटरा को उक्त पत्रावलियों में अग्रिम कार्यवाही करने, अग्रिम आदेश देने एवं पत्रवलीयों का नियमानुसार निस्तारण करने का निवेदन किया था। पीठासीन अधिकारी एवं रीडर द्वारा जुबानी तौर पर कहा गया की हमारा कोई मुकदमा पेडिंग नही है कोई पत्रावलीयां राजस्व मंडल से नही आयी है इसलिये कोई कार्यवाही करना संभव नही है। प्रार्थीया की ओर से माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उक्त वर्णित पत्रावलीयों को उपखण्ड अधिकारी सपोटरा को भेजी गई अथवा नही यह सूचना प्राप्त करने को भेजा था एवं दिनांक 16.01.2016 को पुनः उक्त संबंध में निवेदन करने में श्रीमान् अतिरिक्त निबंधक (न्याय) लोक सूचना अधिकारी राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने पत्र संख्या 1765 दिनांक 25.01.2016 के तहत दिनांक 10.08.2015 को माननीय निबंधक पत्र संख्या 8569–70 की प्रमाणित प्रति भेजी है। जिसमें उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावलीया उपखण्ड अधिकारी सपोटरा को रजिस्टर्ड डॉक से दिनांक 10.08.2015 को भेजी जा चुकी है। इसके उपरान्त पुनः प्रार्थीया द्वारा उपजिला कलेक्टर सपोटरा को उक्त पत्रवलीयों में तारीख पेशी देने हेतु निवेदन किया पुनः यही जबाब मिला की पत्रावलीया अजमेर से प्रप्त नही हुयी है। इस पर प्रार्थीया द्वारा राजस्व मंडल द्वारा पत्रावलीयो को सपोटरा भेजे जाने की सूचना वाले पत्र की प्रति न्यायालय मे पेश कि उसके बाबजूद भी उपजिला कलेक्टर पीठासीन द्वारा कोई कार्यवाही नही की न ही कोई अग्रिम तारीख प्रार्थीया को दी। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावलीयों को प्रतिवादीगण से साजकर छिपाया जा रहा है। अंत में पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नही करने पर प्रार्थीया ने उक्त पत्रावलीयो को तलाश करने एवं अग्रिम तारीख पेशी प्रदान करने हेतु उपजिला कलेक्टर एवम तहसीलदार सपोटरा को पत्रावलीयो की सूचना प्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 20.02.2016 को आवेदन

जिला कलक्टर
करौली

किया हुआ किन्तु उक्त आवेदन पर भी उपजिला कलेक्टर सपोटरा द्वारा आज दिनांक तक कोई सूचना पत्रावलीयां के संबंध में उपलब्ध नही करायी है। प्रार्थीया लगातार न्यायालय के चक्कर काट रही है। पीठासीन अधिकारी उपजिला कलेक्टर एवं न्यायालय का स्टॉफ अप्रार्थीगण से आपस में साज किये हुये है प्रार्थीया से पत्रावलीया गैर कानूनी तरीके से छिपाये जा रहे है। प्रार्थीया को न्यायालय उपजिला कलेक्टर सपोटरा से न्याय की किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नही रही है इस कारण उक्त पत्रावलीया सुनवाई हेतु किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 की ओर से कोई जबाव पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी नं. 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अप्रार्थी नं. 3, 5 व 6 के सम्मन अदम तामील प्राप्त होने पर जरिये अखबारशाया तामील करवाई गई। फिर भी अप्रार्थी नं. 3 व 5 के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी नं. 6 के द्वारा जबाव पेश नहीं किया जाकर सीधे बहस की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि वाद पत्र संख्या 77 / 08 एवं मुतफरिंक दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा सं. 45 / 08 उनवानी मुवीन खातून बनाम बबुआ वगैरहा प्रतिवादीगण बबुआ, कयूम, कदीर, अब्दुल अजीज पुत्रान अज्जू खां, अख्तर वेवा नबाब, मौहम्मद यूसुफ, मौहम्मद तुफैल, मौहम्मद हाशमी पुत्रान नबाब खां एवं तहसीलदार लैण्ड होल्डर के खिलाफ धारा 88 एवं 53 आर.टी. एक्ट के तहत दिनांक 24.09.2008 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर सपोटरा में प्रस्तुत किये थे। इन मुकदमों में दिनांक 23.02.2011 को जबाव दावा व जबाव टी.आई. पेश हो चुके थे। दौराने दावा एवं दरख्वास्त में प्रतिवादीगण बबुआ, कयूम, कदीर, वगैरहा प्रतिवादी नं. 1 ता 8 द्वारा विवादित आराजी का बेचान जायदा पत्नि कलीम खां एवं गुलाम मौहम्मद खां पुत्रान हवीवुल्लाह खां के हक में हस्तांतरण किया जाकर जमाबंदी व खाते में नाम दर्ज हो चुके हैं। दौराने दावा विवादित आराजी का हस्तांतरण हो जाने के कारण प्रतिवादीगण के हकूक समाप्त हो चुके थे। प्रतिवादीगण 1 ता 8 के हकूक समाप्त हो जाने के कारण वादीया की ओर से अंतर्गत ऑर्डर–1 रूल–10 सी.पी.सी. के तहत खरीददार गैरसायलान को दावा एवं दरख्वास्त में पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश किया था। माहतम अदालत ने कानून की परवाह किये बगैर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ऑर्डर–1 रूल–10 सी.पी.सी. दिनांक 15.05.2013 को बिना किसी युक्तियुक्त कारण सरसरी तौर पर खारीज कर दिया। उप जिला कलेक्टर सपोटरा के आदेश के खिलाफ प्रार्थिया ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं.

जिला कलेक्टर
करौली

4797 / 13 व 4798 / 13 उक्त आदेश के खिलाफ पेश की। दिनांक 15.07.2015 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से प्रार्थिया की निगरानियां उनवानी मुवीन बनाम बबुआ वगैरहा स्वीकार की जाकर प्रकरण सं. 47 / 08 एवं 77 / 08 में प्राप्ति आदेश दिनांक 15.05.2013 निरस्त किया जाकर पक्षकारान को अग्रिम कार्यवाही हेतु उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के न्यायालय में दिनांक 24.08.2015 को पक्षकारान को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाने का आदेश दिया गया। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के उक्त प्रकरण में उक्त निगरानियों में उक्त पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 को दोनों पत्रावलियों में प्रार्थी की ओर से उपस्थिति का प्रार्थना पत्र 24.08.2015 को न्यायालय उपजिला कलेक्टर सपोटरा में पीठासीन अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण न्यायालय के रीडर हंसराज मीना को प्रस्तुत किया था। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निगरानियों में पारित आदेश की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर अग्रिम तारीख हेतु निवेदन किया था लेकिन प्रार्थिया को उक्त मुकदमे में कोई तारीख नही दी गई। उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त माननीया पीठासीन अधिकारी उपजिला कलेक्टर सपोटरा को उक्त पत्रावलियों में अग्रिम कार्यवाही करने, अग्रिम आदेश देने एवं पत्रावलियों का नियमानुसार निस्तारण करने का निवेदन किया था। पीठासीन अधिकारी एवं रीडर द्वारा जुबानी तौर पर कहा गया कि हमारा कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है। कोई पत्रावलियां राजस्व मंडल से नहीं आयी हैं। इसलिये कोई कार्यवाही करना संभव नहीं है। प्रार्थिया की ओर से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी करने पर श्रीमान् अतिरिक्त निबंधक (न्याय) एवं लोक सूचना अधिकारी, राजस्व मंडल, अजमेर द्वारा अपने पत्र संख्या 1765 दिनांक 25.01.2016 द्वारा दिनांक 10.08.2015 को माननीय निबंधक के पत्र संख्या 8569–70 की प्रमाणित प्रति प्रेषित कर बताया है कि उक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावलिया उपखण्ड अधिकारी सपोटरा को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 10.08.2015 को भेजी जा चुकी है। इसके उपरान्त पुनः प्रार्थीया द्वारा उपजिला कलेक्टर सपोटरा को उक्त पत्रवलीयों में तारीख पेशी देने हेतु निवेदन किया। पुनः यही जवाब मिला कि पत्रावलियां अजमेर से प्रप्त नहीं हुयी है। इस पर प्रार्थीया द्वारा राजस्व मंडल द्वारा पत्रावलियों को सपोटरा भेजे जाने की सूचना वाले पत्र की प्रति न्यायालय में पेश की। उसके बाबजूद भी उपजिला कलेक्टर पीठासीन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की न ही कोई अग्रिम तारीख प्रार्थिया को दी। पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावलियों को प्रतिवादीगण से साजकर छिपाया जा रहा है। अंत में पीठासीन अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने पर प्रार्थिया ने उक्त पत्रावलियों को तलाश करने एवं अग्रिम तारीख पेशी प्रदान करने हेतु उपजिला कलेक्टर एवं तहसीलदार सपोटरा को पत्रावलियों की सूचना प्राप्त करने के लिये सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 20.02.2016 को आवेदन किया हुआ किन्तु उक्त आवेदन पर भी उपजिला कलेक्टर सपोटरा द्वारा आज दिनांक तक कोई सूचना पत्रावलियों के संबंध में उपलब्ध नहीं करायी है। प्रार्थिया लगातार न्यायालय के चक्कर काट रही है। पीठासीन अधिकारी उपजिला कलेक्टर एवं न्यायालय का स्टाफ अप्रार्थीगण से आपस में साज किये हुये

जिला कलक्टर
करौली

है। प्रार्थिया से पत्रावलियां गैर कानूनी तरीके से छिपाये जा रहे है। प्रार्थिया को न्यायालय उपजिला कलेक्टर सपोटरा से न्याय की किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं रही है। इस कारण उक्त पत्रावलियां सुनवाई हेतु किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील अप्रार्थीगण नं. 1 व 2 का बहस में कथन है कि उनके द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा के पीठासीन अधिकारी व स्टाफ से किसी भी तरह की साज नहीं की गई है। यह भी संभव नहीं है कि पत्रावलियां कार्यालय में प्राप्त होने पर छिपायी जावें। पत्रावलियों का पुनर्निर्माण किया जा चुका है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का भी स्थानांतरण हो चुका है। अंत में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस में कथन है कि पत्रावलियों को प्रार्थिया से छिपाया नहीं जा रहा है। पत्रावलियां न्यायालय उपखण्ड सपोटरा में प्राप्त नहीं हुई हैं। वर्तमान में पत्रावलियों का पुनर्निर्माण किया जा चुका है। यदि सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायालय सपोटरा से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली का मनन किया गया। उपखण्ड अधिकारी सपोटरा ने अवगत कराया है कि राजस्व मण्डल से प्रेषित पत्रावलियां उनके न्यायालय में प्राप्त नहीं हुई है। वर्तमान में पत्रावलियों का पुनर्निर्माण हो चुका है एवं तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो चुका है। फिर भी यदि प्रार्थिया को न्यायालय उपखण्ड सपोटरा से न्याय की उम्मीद नहीं होने पर न्यायहित में प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली को स्थानांतरित किया जाता है। उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता है कि वे आगामी सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली में उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली को भिजवाई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सपोटरा को भी भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली